


पाकुड़ जिला गजट



अंक सं० :-02

वर्ष:-2011

दिनांक :- 16.02.2011 से 28.02.2011 तक

पृष्ठ संख्या 01 से 04 तक

उपायुक्त कार्यालय, पाकुड़ (झारखण्ड)

जिला खनन कार्यालय, पाकुड़


सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित क्षेत्र जो पूर्व में पत्थर खनन पट्टा पर धारित था, जिसकी पुर्नवन्दोवस्ती झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के तहत की जायेगी। ईच्छुक व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत जिला गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के बाद उक्त क्षेत्र पर आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिये अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

क्षेत्र का विवरण :-

क्र०	मौजा	थाना	ब्लॉक न०.	रकवा
1	सुन्दरापहाड़ी	पाकुड़	456, 458 से 463, 450 एवं 457	1.24 एकड़
2	खागाचुआ	पाकुड़िया	179 से 183	3.15 एकड़
3	खागाचुआ	पाकुड़िया	264 / पी०,	1.80 एकड़


सहायक खनन पदाधिकारी,
पाकुड़।

जिला खनन कार्यालय, पाकुड़


सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित क्षेत्र जो पूर्व में पत्थर खनन पट्टा पर धारित था, जिसकी पुर्नवन्दोवस्ती झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के तहत की जायेगी। ईच्छुक व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत जिला गजट में प्रकाशन कि तिथि से 30 दिनों के बाद उक्त क्षेत्र पर आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिये अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

क्षेत्र का विवरण :-

क्र०	मौजा	थाना	ब्लॉक न०.	रकवा
1	रानीकोला	पाकुड़ हिरणपुर	388 से 395, 396 / पी०, 398 / पी०, 403 / पी०, 404 से 408	2.88 एकड़


सहायक खनन पदाधिकारी,
पाकुड़।

जिला खनन कार्यालय, पाकुड़


सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित क्षेत्र जो पूर्व में पत्थर खनन पट्टा पर धारित था, जिसकी पुर्नवन्दोवस्ती झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के तहत की जायेगी। ईच्छुक व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत जिला गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के बाद उक्त क्षेत्र पर आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिये अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

क्षेत्र का विवरण :-

क्र०	मौजा	थाना	प्लॉट न०.	रकबा
1	रामचन्द्रपुर	पाकुड़	195P, 196P, 198, 199	1.38 एकड़


सहायक खनन पदाधिकारी,
पाकुड़।


सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित क्षेत्र जो पुर्व में पत्थर खनन पट्टा पर धारित था, जिसकी पुर्नवन्दोवस्ती झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के तहत की जायेगी। ईच्छुक व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम 9 के अन्तर्गत जिला गजट में प्रकाशन कि तिथि से 30 दिनों के बाद उक्त क्षेत्र पर आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं

विशेष जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

क्षेत्र का विवरण :-

<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>प्लॉट न०.</u>	<u>रकबा</u>
७ बुर्गाई जीए-	दिगायल-	95, 97, 106/P - 2000 107/P, 108/P and 109/P	


सहायक खनन पदाधिकारी,
पाकुड़।